

## बिहार विधान सभा सचिवालय

### निविदा आमंत्रण सूचना

NIT NO-01/2019


बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार विधान सभा अतिथि निवास के लिए न्यू पुनाईचक, पटना स्थित आवंटित सरकारी फ्लैट संख्या-04/84, 06/84 एवं 22/84 तथा माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय 2, देशरत्न मार्ग, पटना एवं सचिव, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय 09, हार्डिंग रोड, पटना में अधिष्ठापित ए.सी., रेफ्रीजेरेटर एवं गीजर (यथा-विण्डो ए.सी. स्टेबलाइजर के साथ-98 अदद, स्पीलीट ए.सी. स्टेबलाइजर के साथ-92 अदद, रेफ्रीजेरेटर स्टेबलाइजर के साथ 06 अदद एवं गीजर-16 अदद) का वार्षिक संपोषण के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक-14.05.2019 को 03.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथा निर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-14.05.2019 को 4.30 बजे अपराह्न में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा एवं इससे संबंधित शर्तें बिहार विधान सभा की वेबसाईट [www.vidhan.sabha.bih.nic.in](http://www.vidhan.sabha.bih.nic.in) पर देखी जा सकती है तथा इस संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

#### निर्धारित शर्तें:-

1. निविदादाता अपनी निविदा सभी ए.सी., रेफ्रीजेरेटर एवं गीजर का भौतिक निरीक्षण के पश्चात ही समर्पित करेंगे।
2. निविदा के साथ फर्म/प्रतिष्ठानों का निबंधन प्रमाण-पत्र, G.S.T. नंबर, अद्यतन आयकर का चुकता प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए तथा निविदा के कभर पर फर्म/प्रतिष्ठानों का पूरा नाम/दूरभाष/मोबाईल नम्बर अंकित होना चाहिए।
3. ए.सी., रेफ्रीजेरेटर एवं गीजर का मरम्मत (पार्ट्स, कम्प्रेसर इत्यादि का रिप्लेसमेंट सहित) के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायगा।
4. ए.सी., रेफ्रीजेरेटर एवं गीजर का मरम्मत उनके अधिष्ठापित स्थान पर ही की जायगी।
5. संधारणकर्ता को नियमित रूप से ए.सी. रेफ्रीजेरेटर एवं गीजर का निरीक्षण कर मरम्मत का कार्य करना होगा तथा ए.सी. के खराब होने की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त संबंधित स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और यथाशीघ्र खराबी दूर कर उसे चालू करना आवश्यक होगा।
6. वार्षिक रख-रखाव की गणना कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
7. निविदा को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा।

  
(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

